

आपके वाद संख्या A-20250301637 की ऑनलाइन सुनवाई हेतु माध्यम/ लिंक है :  
<https://upsic.up.gov.in/cispu/onlinehearing/8b240c> उक्त वाद संख्या A-20250301637 की  
ऑनलाइन सुनवाई दिनांक 07/07/2025 समय 12:30 PM बजे से 02:00 PM बजे तक की जाएगी | - CATS  
UPSIC

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 5 July 2025 at 23:52  
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>, "dfogorakhpur@gmail.com" <dfogorakhpur@gmail.com>, ccfr-  
up@nic.in  
Cc: md <md@upfc.in>

UTTAR PRADESH INFORMATION COMMISSION

Second Appeal under section 19(3) of the Right to Information Act, 2005

Appeal Registration Number - A-20250301637

File Number - S09/A/0966/2025

Applied Date : 27/03/2025 06:42:31 AM

Court of hearing- S-9

Date of hearing- 07 July 2025

Yogi M P Singh versus Public information officer पता: Public Information Officer  
Office - प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष वन ,जनपद- लखनऊ ,पिन कोड : 226001

With due respect the applicant is drawing the kind attention of the most respected  
presiding officer of the court S-9 to the following sought information by the  
appellant, provided information by the public information officer and submissions  
of the appellant as follows.

**Sought information-1-Mr. Jagdamba Pathak is the in-charge ranger of the Baki  
Range for three and half years. Which is against the trans policy of the  
government of Uttar Pradesh. Please provide its reason.**

Provided information 1-Not related to Gorakhpur Forest Division.

Submission of the appellant- According to divisional forest officer Gorakhpur-  
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर पत्रांक 194216एफ-16ए (जनसुनवाई)  
दिनांक, गोरखपुर, नवम्बर, 08/2023 office Phone/Fax No. 0551-2333108 E-Mail ID-  
[dfogorakhpur@yahoo.co.in](mailto:dfogorakhpur@yahoo.co.in) सेवा में, मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर। विषय:- महोदय, रेंज  
में कार्यरत श्री जगदम्बा पाठक, उप क्षेत्र 09A के बांकी रेंज के प्रभाग में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत  
होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। आई०जी०आर०एस० संख्या-6006623020569 थाख्या। उक्त  
शिकायतकर्ता श्री योगी एम०पी० सिंह ने विषयगत आई०जी०आर०एस० शिकायत के द्वारा बांकी इस सम्बन्ध में  
अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वनाधिकारी की तैनाती शासन स्तर से होती हैं। गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत  
बांकी रेंज में क्षेत्रीय वनाधिकारी की तैनाती न होने के कारण श्री जगदम्बा पाठक, उप क्षेत्र 09A रेंज के प्रभाग  
में है। शासन स्तर से क्षेत्रीय वनाधिकारी बांकी रेंज के पद पर तैनाती हेतु के उपरान्त ही श्री जगदम्बा पाठक,  
उप क्षेत्र 09A को अन्यत्र तैनात किया जा सकेगा।

Most respected madam, when the same information has been sought by the  
appellant from the public information officer department of forest, government of  
Uttar Pradesh, Lucknow then this rti application was transferred to the Divisional  
Forest Officer Gorakhpur.

How can it be justified that the divisional forest officer may deny information in  
the name that information concerns the Department of Forest, government of  
Uttar Pradesh and Department of Forest, government of Uttar Pradesh cryptically  
denied this information by transferring the RTI application to divisional forest

officer Gorakhpur?

**Sought information 2-Right to reason is the indispensable part of the sound administrative system therefore it is expected from the divisional forest officer Gorakhpur to provide the reason for giving the charge to a junior rank officer for three and half years when the personnel are available in the government of Uttar Pradesh.**

Provided information 2-The information sought in this point is the Uttar Pradesh Right to Information Rules 2015 promulgated by the Uttar Pradesh Government Administrative Reforms Section-2 Notification No. 544/43-2-2015-Su.A.N. 2015 (1) 2015 dated 03.12.2015 under the Right to Information Act 2005. According to Rule 2 (b) (4) of the said Rules, answering a demand for justification for doing or not doing any work should not be included.

Submission of the appellant- Most respected madam, right to reason is an indispensable part of the sound judicial system according to the apex court of India and this has been quoted by the most respected judges of the apex court on numerous occasions. According to them, for better Governance, it must be applied in the working of the administration.

According to subsection 1d of section 4 of the right to information act 2005, It shall be obligatory duty of every public authority to provide the reason of its decisions to concerned parties in the matter. And the notification issued by the government of Uttar Pradesh cannot have provisions which may prejudicially affect the provisions of the right to information act 2005. If any such position exists in the notification then it is ultra vires to the right to information act 2005.

**Sought information 3-Whether the divisional forest officer Gorakhpur will provide the reason for violating the provisions of new transfer policy by posting the Jagdamba Pathak in the Baki Range for 3 and half years.**

Provided information 3- Information is not required from this office.

Submission of the appellant- Most respected madam, how can it be justified that the divisional forest officer may deny information in the name that information concerns the Department of Forest, government of Uttar Pradesh and Department of Forest, government of Uttar Pradesh cryptically denied this information by transferring the RTI application to divisional forest officer Gorakhpur?

**Sought information 4-To provide junior rank officer charge of a senior rank officer for longer duration is a kind of corruption which must not be promoted in a good governance, but claimants of good governance will never meditate on such issues. Please provide the reason behind such illegal posting.**

Sought information 4-It is not clear which office is meant by the local office from the question asked.

Submission of the appellant- Most respected madam, according to divisional forest officer Gorakhpur-उक्त शिकायतकर्ता श्री योगी एम०पी० सिंह ने विषयगत आई०जी०आर०एस० शिकायत के द्वारा बांकी इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वनाधिकारी की तैनाती शासन स्तर से होती हैं। गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत बांकी रेंज में क्षेत्रीय वनाधिकारी की तैनाती न होने के कारण श्री जगदम्बा पाठक, उप क्षेत्रीय वन रेंज के प्रभार में है। शासन स्तर से क्षेत्रीय वनाधिकारी बांकी रेंज के पद पर तैनाती हेतु के उपरान्त ही श्री जगदम्बा पाठक, उप क्षेत्रीय वन को अन्यत्र तैनात किया जा सकेगा।

Deputy ranger Jagdamba Pathak is posted as ranger in Baki Range of Gorakhpur Division for 4 years by making mockery of the law of land. Vide attached documents.

Most respected madam, divisional forest officer Gorakhpur denied all the four points of information on the flimsy ground so please direct him to provide the information to the appellant. For this, the appellant shall ever pray to you, most respected madam.

Date- 05/07/2025

O God help me  
Yogi M P Singh, Mobile number-7379105911

On Fri, 20 Jun 2025 at 17:01, SHAKUNTALA GAUTAM <[hearingcourts9.upic@up.gov.in](mailto:hearingcourts9.upic@up.gov.in)> wrote:

---

**2 attachments**



**ccfgorakhpur.pdf**

67K



**infdenied.pdf**

460K

सूचना का अधिकार

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / 23-1 (सू0अ0), दिनांक: लखनऊ: जून 20, 2025

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी /  
सांख्यिकीय अधिकारी,  
कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री जगदम्बा पाठक, उप वन क्षेत्राधिकारी, बांकी रेंज के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- नोटिस संख्या-202506S09N100261 केस संख्या- S09/A/0966/2025 (पंजीकृत संख्या- A-20250301637) दिनांक 20.06.2025 अपीलकर्ता श्री योगी एम0पी0 सिंह, Mohalla Surekapuram, Jabalpur Road, Sangmohal Post Office, Pincode-231001 विपक्षी (1) जन सूचना अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0सूचना आयोग, आर0टी0आई0भवन, विभूती खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का पत्र इस कार्यालय को ऑन लाईन प्राप्त हुआ है, जो इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। उक्त आर0टी0आई0 पत्र दिनांक 20.06.2025 मय संलग्न संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय कुमार दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी / जन सूचना अधिकारी,

पत्र संख्या- 3322 / तददिनांकित।

1- मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, 7/7/ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

पंजीकृत डाक

2- प्रतिलिपि श्री योगी एम0पी0 सिंह, Mohalla Surekapuram, Jabalpur Road, Sangmohal Post Office, Pincode-231001 को इस आशय से प्रेषित कि वांछित उक्त जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 का प्रकरण सम्बन्धित को अन्तरित कर दिया गया है। उक्त जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की सूचनाएं उन्हीं के स्तर से प्राप्त करने का कष्ट करें।

(संजय कुमार दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी / जन सूचना अधिकारी,

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / 23-1 (सू0अ0), दिनांक: लखनऊ: जून 23, 2025

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/  
कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल,  
गोरखपुर।

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री जगदम्बा पाठक, उप वन क्षेत्राधिकारी, बांकी रेंज के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-रजि0 सं0-PCCFO/R/2024/60096 दिनांक-27.11.2024 अपीलकर्ता श्री योगी एम0पी0 सिंह, Mohalla Surekapuram, Jabalpur Road, Sangmohal Post Office, Pincode-231001

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उ0प्र0 सूचना आयोग, आर0टी0आई0भवन, विभूती खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का पत्र इस कार्यालय को ऑन लाईन प्राप्त हुआ है, जो इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। उक्त आर0टी0आई0 का प्रकरण जन सूचना अधिकारी, कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से सम्बन्धित है। अतः आपसे अनुरोध है कि सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 07.07.2025 को प्रातः समय-10:30 बजे मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या-एस-9 के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित दिनांक से दो दिन पूर्व पत्र में इंगित सूचनाएं प्रेषित करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि कोई भी पत्र आयोग के समक्ष भौतिक रूप से प्रेषित न करें, तथा जन सूचना अधिकारी स्वयं या अपना अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित हो। आप उपर्युक्त लिखित कथन की एक प्रति अपीलकर्ता को ईमेल के माध्यम से और यदि ईमेल सम्भव न हो तो अपीलकर्ता को व्हाट्सप/भौतिक प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय कुमार दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी,

पत्र संख्या- 3328 / तददिनांकित।

पंजीकृत डाक

प्रतिलिपि श्री योगी एम0पी0 सिंह, Mohalla Surekapuram, Jabalpur Road, Sangmohal Post Office, Pincode-231001 को इस आशय से प्रेषित कि वांछित उक्त जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 का प्रकरण सम्बन्धित को अन्तरित कर दिया गया है।

(संजय कुमार दीक्षित)

प्रशासनिक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी,

रजिस्टर्ड

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 3167/16एफ16ए(सूचना अधिकार) दिनांक, गोरखपुर, जून 16/2024

सेवा में,

Shri yogi M P Sing

Add: Mohalla Surekhpuram Jabalpur Road

Pin 231001 State Uttar Pradesh M0b 7379105911

विषय- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ- जन सूचना अधिकारी प्रशासन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक

611/2-1(सू0अ0) दिनांक 16.05.2025

2-मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर का पत्रांक 3016/16एफ16ए दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आप द्वारा मांगी गयी सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है:

- 1- गोरखपुर वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
- 2- इस बिन्दु में चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए ।
- 3- इस कार्यालय से सूचना वांछित नहीं है।
- 4- पूछे गये प्रश्न से लोकल कार्यालय का तात्पर्य किस कार्यालय से है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
- 5- इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
- 6- इस बिन्दु में चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए ।

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर ।

संख्या- /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर ।

(रजिस्टर्ड)

सूचना का अधिकार (अपील)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 692 /2-1(सू0अ0), दिनांक: लखनऊ: 23 जून, 2025

सेवा में,

Shri Yogi M P Singh,  
ADD : Mohalla-surekhapuram, Jabalpur Road,  
Pin : 231001, STATE- Uttar Pradesh,  
Mob.- 7379105911

**विषय:-** सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** आर0टी0आई0-2005 के तहत प्राप्त ऑनलाइन प्राप्त आपका आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन नं0-  
PCCFO/A/2025/60044, दिनांक-20.06.2025

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपने  
अपीलीय आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2025 क्रमांक-02/06-25 पर पंजीकृत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु सं0-3**

बिन्दु सं0-1 से बिन्दु सं0-3 पर सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 के कार्यालय  
से सम्बन्धित है।

**बिन्दु संख्या-4**

बिन्दु सं0-4 की सूचना मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय से सम्बन्धित है।

उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन प्राप्त आपका आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन नं0-  
PCCFO/A/2025/80095, दिनांक-29.04.2025 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-611/2-1(सू0अ0),  
दिनांक-16.05.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय को सूचना का अधिकार  
अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अंतरित करते हुए पत्र की प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी है।

**बिन्दु संख्या-5**

बिन्दु सं0-5 पर सूचना मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित), उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय से सम्बन्धित  
है।

आप द्वारा माँगी गई सूचनायें वन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों से सम्बन्धित है। अतः उत्तर  
प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की बिन्दु संख्या-4(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वॉछित सूचना  
प्राप्त करने हेतु आप वन विभाग के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित विभिन्न कार्यालयों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों  
के समक्ष अलग-अलग सूचना का अनुरोध प्रस्तुत करें।

उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः आपके अपील पर प्राप्त आपत्ति का सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19(1) के अन्तर्गत  
निस्तारण किया जाता है।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक प्रशासन,  
(अराजपत्रित)/अपीलीय अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर  
पत्रांक - 29 / 16एफ16ए(सूचना अधिकार) दिनांक, गोरखपुर, जुलाई 04 / 2025

सेवा में,

Shri yogi M P Sing

Add: Mohalla Surekhapuram Jabalpur Road

Pin 231001 State Uttar Pradesh MOb 7379105911

विषय- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ- जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 611/2-1(सू0अ0) दिनांक 16.05.2025

2-मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ नोटिस संख्या 202506509N100261 दिनांक 20.06.2025

3-इस कार्यालय का पत्रांक 3291/16एफ16ए (सूचना का अधिकार) दिनांक 26.06.2025(टंकण त्रुटि वश 2024 अंकित )

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ नोटिस संख्या 202506509N100261 दिनांक 20.06.2025 के क्रम में आपको इस कार्यालय का पत्रांक 3291/16एफ16ए (सूचना का अधिकार) दिनांक 26.06.2025(टंकण त्रुटि वश 2024 अंकित) द्वारा सूचना आपको भेजा गया है, जिसे बिन्दुवार करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

- 1- इस बिन्दु में आप द्वारा कोई सूचना/अभिलेख नहीं मांगा गया है।
- 2- इस बिन्दु में चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा इस कार्यालय में रखे गये किसी अभिलेख अथवा उसके भाग की मांग नहीं की गयी है।
- 3- इस बिन्दु में चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा इस कार्यालय में रखे गये किसी अभिलेख अथवा उसके भाग की मांग नहीं की गयी है।
- 4- आवेदक द्वारा इस बिन्दु में कोई सूचना/अभिलेख की मांग नहीं की गयी है मात्र अपने विचार व्यक्त किये गये है।
- 5- आवेदक द्वारा इस बिन्दु में कोई सूचना/अभिलेख की मांग नहीं की गयी है मात्र अपने विचार व्यक्त किये गये है। उक्त प्रेषित सूचना की एक प्रति एतत्सह संलग्न कर आपके ई-मेल आई0डी0 yogimpsingh

@gmail.com के माध्यम से भेजा जा रहा है।

भवदीय

*Bank Ch. Brahma*

(बी0सी0 ब्रह्मा)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

संख्या- 29 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर को जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 611/2-1(सू0अ0) दिनांक 16.05.2025 की छाया प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आयोग में सुनवाई की तिथि दिनांक 07.07.2025 नियत है। उक्त तिथि को आप किसी मित्र व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ के कक्ष संख्या-9 में अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
- 3- पीठासीन अधिकारी मा0 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कक्ष संख्या-9 उ0प्र0 लखनऊ को ई-मेल [hearingcourts9.upic@up.gov.in](mailto:hearingcourts9.upic@up.gov.in) द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।

*Bank Ch. Brahma*

(बी0सी0 ब्रह्मा)

मुख्य वन संरक्षक  
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर